




फर्द अहमकाम

बनाम

न्यायालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी जोधपुर

केस सं० /20

क्र.सं० दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	दिनांक दिवस
५/५/२०२५	<p>डायरी/बाहरी द्वारा मूल वाद को हलचल कर विज्ञो विर जाने की अनुमति अर्ज पर पडवली को मूल वाद के साथ आज्ञा की प्रतीति के ले ली गये।</p> <p>मूल वाद को विज्ञो विर जाने की अनुमति दी जा चुकी है। अतः प्रस्तुत उद्देश्य भी. विज्ञो के आधार पर खारिज चिना जाता है।</p> <p>पडवली केवल शुक्रर होकर नम्बर से कम होकर साखिल दफ्तर हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी जोधपुर, जयपुर</p>	<p> </p>